

राजीनामा नहीं होने के कारण पत्रावली  
नियम विधि 2019/2022 का सम्बन्धित  
म्हामालय में पेश हो।

राजासिंह ठाकुर  
राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच  
कोलकाता

न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच  
कोलकाता

20/9/22 पत्रावली पेश इसी। बरीर नहीं अप। बरीर नहीं ने प्रकरण  
आगे नहीं चलाने व नव प्रोसेस बरकर, निवेदन किया  
गया। प्रकरण ने नव प्रोसेस किया। अतः हाथी  
डा हाथीना पत्रा डुकली उन्त. धारा 136 LR नव  
खारिज किया जाय है। पत्रावली प्रोसेसशुमार  
होकर बरकर से कम हो। मण्डार प्रतिकर।

प्रोसेस  
निकाश जैन  
एडवोकेट  
20/9/22

